

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 466/2017.....

धारा 107 द.प्र.स.

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाही
पुत्र नारायण गोपाबनाम - पत्नी देवी मुन्शी	4.5.17
..... थाना अपाथमिकी सं० 02/12	19.5.17
प्राप्त हुआ अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	11/6/17
स० अ० नि०/अ० नि० मुन्शी ने जाँच कर अपना	13/6/17
प्रतिवेदन थाना प्रभारी मुन्शी थाना एवं	27/6/17
अ० निरी० केन्द्र मुन्शी ने अग्रसारित किया	10/7/17
है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच लमीन संघर्ष	26/7/17
विवाद को	8/8/17
..... लेकर	28/8/17
तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	8/9/17
भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा	16/9/17
सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	5/10/17
व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	20/10/17
है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	3/11/17
द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	17/11/17
कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 13.4.17..... को 10.30 बजे	11/12/17
पूर्वाहन उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	14/12/17
लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो	28/12/17
समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	11/01/18
लेखापित एवं संशोधित	29/1/18
	10/2/18
अनुमंडल दण्डाधिकारी	23/2/18
धनबाद	2/3/18
अनुमंडल दण्डाधिकारी	19/3/18
धनबाद	3/4/18
29/6/18	16/4/18
13/3/18	26/4/18
14/3/18	10/5/18
लमीन	28/05/18
	4/6/18
	15/6/18